



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271510
CG-DL-E-02042026-271510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1611]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948

No. 1611]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1676 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3499(आ) तारीख 29 जुलाई, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के किमी0 139.000 से किमी0 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य एवं अम्बेडकरनगर बाईपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 12 अगस्त, 2025 को आज और टाइम्स आफ इण्डिया दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के किमी0 139.000 से किमी. 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य एवं अम्बेडकरनगर बाईपास के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली भूमिका विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: आजमगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फूलपुर					
गांव का नाम: लारपुर गौहर					
1	452	निजी	कृषि	0.0175	शिव प्रसाद, दशरथ पुत्रगण छोटकून, विन्देश कुमार पुत्र शिवमूरत, लालपत्ती पत्नी माता प्रसाद, विनोद कुमार पुत्र माता प्रसाद, लक्ष्मी पत्नी मनोज कुमार
गांव का नाम: चक कुरहा					
2	109	निजी	कृषि	0.017	युसुफ पुत्र जैतुन
गांव का नाम: सिकंदर पट्टी					
3	188	सरकारी	बंजर	0.0457	उत्तर प्रदेश सरकार
4	238	सरकारी	नवीन परती	0.0217	उत्तर प्रदेश सरकार
5	485	सरकारी	नवीन परती	0.018	उत्तर प्रदेश सरकार
6	493	सामान्य	कृषि / बंजर	0.0424	अच्छे लाल संरक्षक सुमिरन, अरविन्द संरक्षक सुमिरन, सुरेश संरक्षक सुमिरन, छोटेलाल संरक्षक कौलेश्वर, देवेन्द्र कुमार संरक्षक कौलेश्वर, श्रीमती रामरत्ती संरक्षक कौलेश्वर, धर्मराज संरक्षक झूरी, नरेन्द्र कुमार संरक्षक झूरी, हौसिलाप्रसाद संरक्षक धर्मराज, विरेन्द्र कुमार संरक्षक धर्मराज, रामफेर संरक्षक मुन्नर, इन्द्रमणि संरक्षक मुन्नर, उत्तर प्रदेश सरकार
गांव का नाम: सरईपुल					
7	309	निजी	कृषि	0.016	तिलकधारी, राममिलन, रामधारी, रामबदन, कृपाशंकर पुत्रगण बंशराज, अंशिका संरक्षक रमाशंकर, निशांत यादव संरक्षक रमाशंकर, प्रशान्त यादव संरक्षक रमाशंकर, सुशीला संरक्षक रमाशंकर
8	465	निजी	कृषि	0.012	बुझावन पुत्र चतुरी, कृष्ण कुमार, सन्तोष कुमार पुत्रगण कपिलदेव, अमरावती पत्नी कपिलदेव
9	466	निजी	कृषि	0.034	बुझावन पुत्र चतुरी, कृष्ण कुमार, सन्तोष कुमार पुत्रगण कपिलदेव, अमरावती पत्नी कपिलदेव
10	504	निजी	कृषि	0.0154	प्रभावती पत्नी राधेश्याम, राधेश्याम पुत्र कुबेर, प्रमोद कुमार पुत्र बलिराम, सुशीला पत्नी प्रमोद कुमार, बांकेलाल पुत्र श्रीराम, कृष्णावती पत्नी बांकेलाल,

					विनोद कुमार पुत्र बलिराम, चन्द्रकला पत्नी विनोद कुमार, मुंशीलाल पुत्र श्रीराम, राधिका पत्नी मुंशीलाल, शीला पत्नी पतिराम, पतिराम पुत्र कुबेर
11	55	सरकारी	स्कूल	0.1087	उत्तर प्रदेश सरकार
12	572	निजी	कृषि	0.0279	रामसिगार, बृजलाल, महेंद्र पुत्रगण चंद्रबली, गौरव पुत्र दलसिगार, श्रीमती शोभादेवी पत्नी दलसिगार
13	606	निजी	कृषि	0.014	लाल बहादुर, बिजय बहादुर पुत्रगण भुल्लू, रविकान्त, नरेन्द्र, अमरीश पुत्रगण श्यामबहादुर, शोभावती पत्नी श्यामबहादुर
14	609	सरकारी	सड़क	0.0316	उत्तर प्रदेश सरकार
Total				0.4219	

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PKg-III)/2023-24/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1676(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 3499(E) Dated 29/07/2025 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (Widening/4-Lane etc) maintenance, management and operation of National Highway No. 135A in the stretch of land from Km. 139.00 to Km. 179.20 for Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.200 Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Aaj**" and "**The Times of India**" both dated **12th August, 2025** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired for Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.20 Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: AZAMGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Phulpur					
Village: Larpur Gauhara					
1	452	Private	Agriculture	0.0175	Shiv Prasad, Dasharatha Sons of Chotkun, Vindresh

					Kumar S/o Shivmurat, Lalpatti W/o Mata Prasad and Vinod Kumar S/o Mata Prasad, Laxmi W/o Manoj Kumar
Village: Chak Kurha					
2	109	Private	Agriculture	0.017	Yushuf S/o Jaitun
Village: Sikandar Patti					
3	188	Government	banjar	0.0457	Government of Uttar Pradesh
4	238	Government	Navin Parati	0.0217	Government of Uttar Pradesh
5	485	Government	Navin Parati	0.018	Government of Uttar Pradesh
6	493	Common	Agriculture / Banjar	0.0424	Achhelal Patron Sumiran, Arvind Patron Sumiran, Suresh Patron Sumiran, Chhotelal Patron Kauleshwar, Devendra Kumar Patron Kauleshwar, Mrs. Ramratti Patron Kauleshwar, Dharmaraj Patron Jhuri, Narendra Kumar Patron Jhuri, Hausila Prasad Patron Dharmaraj, Virendra Kumar Patron Dharmaraj, Ramfer Patron Munnar, Indramani Patron Munnar, Government of Uttar Pradesh
Village: Saraipul					
7	309	Private	Agriculture	0.016	Tilakdhari, Ram Milan, Ramdhari, Rambadan, Kripashankar sons of Bansharaj, Anshika Patron Ramashankar, Nishant Yadav Patron Ramashankar, Prashant Yadav Patron Ramashankar, Sushila Patron Ramashankar
8	465	Private	Agriculture	0.012	Bujhavan S/o Chaturi, Krishna Kumar, Santosh Kumar Sons of Kapildev, Amravati W/o of Kapildev
9	466	Private	Agriculture	0.034	Bujhavan S/o Chaturi, Krishna Kumar, Santosh Kumar Sons of Kapildev, Amravati W/o of Kapildev
10	504	Private	Agriculture	0.0154	Prabhavati W/o Radheshyam, Radheshyam son of Kuber , Pramod Kumar S/o Baliram, Shushila W/o Pramod Kumar, Bankelal S/o Shriram, Krishnavati W/o Bankelal, Vinod Kumar S/o Baliram, Chandrakala W/o Vinod Kumar, Munshilal S/o Shriram, Radhika W/o Munshilal, Sheela W/o Patiram, Patiram S/o Kuber
11	55	Government	School	0.1087	Government of Uttar Pradesh
12	572	Private	Agriculture	0.0279	Ramsigar, Brijlal, Mahendra Sons of Chandrabali Gaurav S/o Dalsigar, Shobhadevi W/o Dalsigar
13	606	Private	Agriculture	0.014	Lal Bahadur, Vijay Bahadur sons of Bhullu, Ravikant, Narendra, Amrish sons of Shyam Bahadur, Shobhwati W/o Shyam Bahadur
14	609	Government	Road	0.0316	Government of Uttar Pradesh
Total				0.4219	

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PK-g-III)/2023-24/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director